

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

क्रमांक:स.नि./स्कूल शिक्षा/पाली/संस्था/परामर्श शिविर/2020/1156

दिनांक :- 18-08-2020

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 (विभिन्न विषय) में चयनित अभ्यर्थियों के मण्डल आवंटन पश्चात् पदस्थापन परामर्श सूचना सम्बन्धी सूचना

(Counselling for Posting Information)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./ व.अ.-अर्थना/ 2018-19 दिनांक 17.08.2020 के निर्देशानुसार "राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 (विभिन्न विषय) में चयनित अभ्यर्थियों के मण्डल आवंटन पश्चात् पदस्थापन हेतु परामर्श शिविर का आयोजन निम्नानुसार आयोजित किया जावेगा। (अभ्यर्थी सूची एवं रिक्त पदों की सूची काउन्सलिंग तिथि से पूर्व जारी की जावेगी।

स्थान :- रा. बालिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली

क.स.	विषय	अभ्यर्थी संख्या (वरि. क्रमानुसार)	काउन्सलिंग दिनांक	पारी	रजिस्ट्रेशन समय	काउन्सलिंग समय
1	अंग्रेजी (नॉन टीएसपी क्षेत्र)	01 से 50	22-08-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
		51 से 100	22-08-2020	द्वितीय पारी	अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक	अपरान्ह 2.00 बजे से 04.00 बजे तक
		101 से 150	23-08-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
		151 से 202	23-08-2020	द्वितीय पारी	अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक	अपरान्ह 2.00 बजे से 04.00 बजे तक
2	गणित (नॉन टीएसपी क्षेत्र)	01 से 50	24-08-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
		51 से 100	24-08-2020	द्वितीय पारी	अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक	अपरान्ह 2.00 बजे से 04.00 बजे तक
		101 से 158	25-08-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
3	विज्ञान (नॉन टीएसपी क्षेत्र)	01 से 50	26-08-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
		51 से 102	26-08-2020	द्वितीय पारी	अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक	अपरान्ह 2.00 बजे से 04.00 बजे तक
4	संस्कृत (नॉन टीएसपी क्षेत्र)	01 से 50	28-08-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
		51 से 100	28-08-2020	द्वितीय पारी	अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 1.30 बजे तक	अपरान्ह 2.00 बजे से 04.00 बजे तक
		101 से 151	29-08-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
5	सामाजिक विज्ञान (नॉन टीएसपी क्षेत्र)	01 से 56	02-09-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक
6	हिन्दी (नॉन टीएसपी क्षेत्र)	01 से 37	03-09-2020	प्रथम पारी	प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक	प्रातः 10.00 से अपरान्ह 12.00 बजे तक

विलम्ब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों को काउन्सलिंग हेतु निर्धारित वरियता का लाभ देय नहीं होगा। सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने विषय से सम्बन्धित परामर्श शिविर तिथि को कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा पदशर्तित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कही भी पदस्थापन किया जा सकेगा।

काउन्सलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी की गई गाइड लाईन का पूर्णतया पालन करेंगे। अभ्यर्थी मास्क पहन कर ही काउन्सलिंग में उपस्थित हो एवं प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे।

वरियता सूची का निर्धारण निम्न बिन्दुओं पर किया जाना है :-

क.स.	वरियता बिन्दु	वरियता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाणपत्र/ अभ्यावेन
1	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड का प्रमाण पत्र
2	विधवा महिला	पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं काउन्सलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/- रु. के स्टाम्प पेपर पर
3	परित्यक्ता महिला	सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिफिक एवं काउन्सलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/- रु. के स्टाम्प पेपर पर
4	एकल महिला (अविवाहित)	50/- रूपयों के स्टाम्प पेपर पर काउन्सलिंग दिनांक तक अविवाहित होने का शपथ पत्र
5	भूतपूर्व सैनिक	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
6	पति-पत्नि प्रकरण (पूर्व से)	पूर्व से राज्य सेवा/ राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड उपक्रम में पाली संभाग (पाली/जालोर/सिरोही) में कार्यरत हो तो कार्यरत पति/पत्नि के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र
7	शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित पुत्री/विरांगना)	सम्बन्धित शहीद का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने सम्बन्धी शपथ पत्र
8	महिला अभ्यर्थी	
9	अन्य शेष अभ्यर्थी	

चयनित अभ्यर्थी निम्न दस्तावेज (मूल एवं छायाप्रति) अनिवार्य रूप से काउन्सलिंग स्थल पर लेकर उपस्थित हो :-

- फोटो युक्त पहचान पत्र (आईडी) मूल एवं फोटो प्रति। स्वयं अभ्यर्थी के वर्तमान स्थिति के दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- समस्त दस्तावेजों की मूल एवं एक छायाप्रति स्वप्रमाणित एवं अन्य समस्त दस्तावेज जो आवेदन के समय आवेदन के साथ सलग्न किये गये हो अथवा विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तों इत्यादि से सम्बन्धित हो।
- आरक्षण सम्बन्धी दस्तावेज।

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। सम्बन्धित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी वांछित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रति सहित निर्धारित स्थान एवं समय पर काउन्सलिंग में उपस्थित हो।

(श्याम सुन्दर सोलकी)

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली